

- 32. पारत सरकार के प्राधिकार पत्र का हवाला देते हुए पार्टिक सेना ट्रेडों की अशैनिक ट्रेडों से समानता। व्यक्ति व पार्टिक सेना ट्रेड का कोड नंव एन सी ओ कोड नंव कर्ज मेक देव तथा प्रधिकार दिए जाएं। \
  Equation of army trades with that of civil trades quoting authority of Govt, of India letter. Defails to be included are code No. Army Trade, NCO code No. Civil trade and authority.
- 33. जिस व्यवसाय/ ट्रेंड/काम के योग्य समझा गया। Vocation/Trade/Business for which considered fit.
- 34. मोटर गाडी चलाने में दसता। क्या सिविल लाइमेंस जयवा बेज लिया है ? यह भी बताएं कि किस किस्म की सिविल गाडी चलाई है। Proficiency in MT driving. Whether civil driving licence or badge held. Also which type of vehicle bas been driven:
  - (क) मारी गाड़ी
  - (a) Heavy Vehicle
  - (ध) हल्की गाडी
  - (b) Light Vehicle
  - (ग) गोटर साइकिल
  - (c) Motorcycle



18

38. पुनः शेळगार को जिल् पंजीकरण :
REGISTRATION FOR RE-EMPLOYMENT
(क) या वो वो/जि यो वो में पंजीकरण
(a) RSIL/SS Registration
(b) पंजीकरण संख्या
Registration Number On 1/3/2
(tt) गारील 2 - 2 - 2/2


Tilla Salnik Welfare Office
Ahmednagar-414091


Printly Perm April 2017-18

मवत स- 2000 / पर्वा अन्वयं अवा केली

स्ति. 00/पुर/२० १/ अन्वयं अवा केली

Application of the state of the





Zilla Sainik Welfare Officer Alynednagar-414401

(ग) इस प्रार्थना-पत्र को पाने वाले व्यक्ति को, इसे अपने पोस रखने का अधिकार नहीं है। वह या तो इसे नजदीक के पुलिस थाना में जमा करा दे या डाक से अमिलेख प्रभारी अफसर को मेज दे।

- (c) A finder of this certificate has no right to retain it. He should either deposit it to the nearest Police station or post to Officer-in-Charge Records.
- (घ) यह सेवा मुक्ति पुस्तिका अहस्तांतरणीय है। प्रविष्टियों में संशोधन, परिवर्तन, कांट-छांट अथवा किसी प्रकार के परिवर्तन की कोशिश गंभीर अपराध समझा जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर अभियोग चलाया जाएगा। यदी इसमें संशोधन करना अनिवार्य हो जाए तो ऐसा केवल अमिलेख प्रमारी अफसर करेगा।
- (d) This Discharge Book is not transferable. Amendments, alternations, erasures of entries or any attempt at tempering constitutes a grave offence and will render the persons concerned liable to prosecution. Amendments if necessary to be effected only under the seal of Officer I/C Records.

माग-2

## Part-II

## सामान्य हिदायतें GENERAL INSTRUCTIONS

- (क) सेवा तथा सेवा मुक्ति प्रमाण-पत्र केवल मारतीय सेना से मुक्त होने पर जारी किया जाएगा।
  - (a) The Service and Discharge Certificate will be issued only on release from the Army.
  - (ख) यदि किसी प्रकार की जानकारी, प्रार्थना या किसी सरकारी प्राधिकरण के विरुद्ध कोइ शिकायत हो तो सम्बन्धित प्रमारी अभिलेख अधीकारी को लिखें।
  - (b) Any query, request or complaint against Govt. authority is to be made to Officer-in-Charge Records concerned.
  - (ग) सैनिक को नौकरी पाने में सहायता के लिए अपने नजदीक के राज्य सैनिक बोर्ड में रिपोर्ट करना होगा और वहां अपना नाम दर्ज कराना होगा।
  - (c) Söldier is to be Report to the nearest RSB/ZSB for assistance in finding employment and is to be get his name registered, with them.